

08/04/2025

फतेहगढ़ II और बाड़मेर I पीएस ट्रांसमिशन लिमिटेड

(पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड की 100% पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी)
बी-9, कुतुब इंस्टीट्यूशनल एरिया, कटवारिया सराय, नई दिल्ली-110 016

सूचना

(विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 15 की उप-धारा (2) के तहत)

1. फतेहगढ़ II और बाड़मेर I पीएस ट्रांसमिशन लिमिटेड, जिसका पंजीकृत कार्यालय बी-9, कुतुब इंस्टीट्यूशनल एरिया, कटवारिया सराय, नई दिल्ली-110016 में है, जो कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत निगमित है, ने केंद्रीय विद्युत नियामक आयोग, नई दिल्ली के समक्ष विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 15 की उप-धारा (1) के तहत पारेषण लाइनों, उप-स्टेशनों और अन्य परिसंपत्तियों के संबंध में ट्रांसमिशन लाइसेंस प्रदान करने के लिए एक आवेदन किया है, जिसका विवरण नीचे दिया गया है:-

क्र. सं.	लाइन / सबस्टेशन का नाम (नोट के अनुसार स्थान)	वीपीसी की सर्वेक्षण रिपोर्ट के अनुसार लाइन की लंबाई / क्षमता	वार्षिक ट्रांसमिशन शुल्क (आईएनआर) मिलियन प्रति वर्ष	कमीशनिंग शेड्यूल	टिप्पणी
1.	फतेहगढ़-IV पीएस (खंड-II) में 400/220 केवी, 3x500 एमवीए (6वें, 7वें और 8वें) आईसीटी के साथ संबद्ध ट्रांसफार्मर बे का विस्तार	1500 एमवीए	569.31	07.11.2026	—
2.	बाड़मेर-I पीएस पर 400/220 केवी, 2x500 एमवीए (तृतीय एवं चतुर्थ) आईसीटी के साथ संबद्ध ट्रांसफार्मर बे का विस्तार	1000 एमवीए			
3.	फतेहगढ़-II पीएस पर 765/400 केवी, 1x1500 एमवीए ट्रांसफार्मर (7वें) के साथ संबद्ध ट्रांसफार्मर बे का विस्तार	1500 एमवीए		21.12.2026	

नोट: (i) सभी तत्वों के स्थान राजस्थान राज्य में हैं।

(ii) पूर्ण दायरे के लिए कृपया <https://www.powergrid.in/subsidiaries> पर जाएं

2. आयोग के समक्ष दायर पूर्ण आवेदन और अन्य दस्तावेज पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड की वेब साइट <https://www.powergrid.in/subsidiaries> पर किसी भी व्यक्ति द्वारा उपयोग के लिए उपलब्ध हैं। आवेदन का निरीक्षण कंपनी के सी/ओ ईडी (टीवीसीबी), पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, सौदामिनी, प्लॉट नंबर 2, सेक्टर -29, गुडगांव 122001 में, श्री संजय कुमार ठाकुर, परियोजना प्रभारी, फतेहगढ़ II और बाड़मेर I पीएस ट्रांसमिशन लिमिटेड या आयोग द्वारा निर्दिष्ट प्रक्रिया के अनुसार आयोग का कार्यालय के साथ भी किया जा सकता है।

3. आपत्ति या सुझाव, यदि कोई हो, आवेदक या उसके अधिकृत एजेंट, अखबार में नोटिस के प्रकाशन के 15 दिनों के भीतर सचिव, केंद्रीय विद्युत नियामक आयोग, 7 वीं मंजिल, टावर बी, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर, नौरोजी नगर, नई दिल्ली- 110029 के समक्ष आपत्ति (ओं)/सुझाव (ओं) की एक प्रति के साथ दायर किया जाना चाहिए।

श्री संजय कुमार ठाकुर
परियोजना प्रभारी,

स्थान: नई दिल्ली

तारीख: 08.04.2025

फतेहगढ़ II और बाड़मेर I पीएस ट्रांसमिशन लिमिटेड